न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलियाआर.ए.एस.
प्रकरण सं0 53/2025दायर दिनांकः 09.04.2025

उनवान

1. प्रेमनारायण आयु 44 वर्ष पुत्र भीमराज जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज.) मो.न. 9829226797

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव
प्रतिवादीः— पेरोकार सरकार

निर्णयदिनाकः25.08.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91आर टी एक्टएवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के शामलाती कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल महाराजपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 57 का खसरा नं. 1018 का रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 1019 का रकबा 0.32 है0, खसरा नं. 1047/1354 का रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 875/1506 का रकबा 0.25 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.99 है0 आराजी हिस्सा 27/160 दर्ज खाता चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम/माल महाराजपुरा में खाता संख्या 85 का खसरा नं0 1018/1502 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.07 है0 आराजी हिस्सा 1/32 दर्ज खाता चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम/माल महाराजपुरा में खाता संख्या 109 का खसरा नं. 1009 का रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 1010 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1011 का रकबा 0.19 है0, खसरा नं. 1012 का रकबा 0.11 है0 खसरा नं. 1013 का रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 970 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 971 का रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 972 का रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 973 का रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 का रकबा 0.87 हैक्टर आराजी

हिस्सा 23/630 दर्ज खाता चली आ रही है। उक्त तीनो खातों की नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादी के शामलाती कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम/माल पटना में आराजी खाता संख्या 145 का खसरा नं. 239 का रकबा 1.79 है0, खसरा नं. 352/1481 का रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 353/1482 का रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 358 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 359 का रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 361 का रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 362 का रकबा 0.95 है0, खसरा नं. 365 का रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 368 का रकबा 0.26 है0, खसरा नं. 388 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं. 501/1509 का रकबा 0. 02 है0, खसरा नं. 64 का रकबा 1.79 है0, कुल किता 12 का रकबा 5.76 हैक्टर आराजी हिस्सा 23/560 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम खाता संख्या 57 की आराजी में प्रेम पुत्र भीम व खाता संख्या 85 की आराजी में प्रेम पुत्र भीम तथा खाता संख्या 109 की आराजी में प्रेमचन्द पुत्र भीम खाता संख्या 145 की आराजी में प्रेमचन्द पुत्र भीम दर्ज कर दिया है जो कि गलत दर्ज कर दिया है जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रेमनारायण पुत्र भीमराज है। जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि दस्तावेजो में भी प्रेमनारायण पुत्र भीमराज नाम ही दर्ज है। ग्राम पंचायत पटना द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि प्रेमनारायण पुत्र भीमराज व प्रेमचन्द पुत्र भीम व प्रेम पुत्र भीम सभी एक ही व्यक्ति के नाम है, सही नाम प्रेमनारायण पुत्र भीमराज है । वादी के उक्त दस्तावेजात व ग्राम पंचायत पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। नक़ल जमाबंदियों व अन्य दस्तावेजों में वादी व उसके पिता का नाम भिन्न भिन्न होने से वादी को कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 12/03/2025 को वादी ने नक़ल जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने का श्रीमान तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद पेश किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। जिन्हे धारा 80 सी. पी.सी का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का

इन्तजार किया गया तो वादी को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) CPC का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाज़त से वादश पेश है। वाद कारण दिनांक 12/03/2025 को वादी द्वारा नाम दुरुस्ती का श्रीमान तहसीलदार साहब से निवेदन करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी ग्राम महाराजपुरा व पटना तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादी का नाम प्रेमचन्द पुत्र भीम व प्रेम पुत्र भीम को दुरुस्त करते हुए प्रेमनारायण पुत्र भीमराज का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई तथाप्रतिवादी तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2510 दिनांक 14.07.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम व माल महाराजपुरा के खाता संख्या 57 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.99 है0 हिस्सा 27/160, खाता संख्या 85 कुल किता 1 का रकबा 0.07 है0 हिस्सा 1/32, खाता संख्या 109 कुल किता 9 का रकबा 0.87 है0 हिस्सा 23/630 आराजी खाते दर्ज है। वादी का नाम ग्राम महाराजपुरा के ग्रामवासियों से जानकारी लेने पर दस्तावेज में नाम प्रेमनारायण पुत्र भीमराज बताया एवं सही नाम प्रेमनारायण पुत्र भीमराज बताया।

साक्ष्यवादी के तहतPw1 प्रेमनारायण पुत्र भीमराज जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू व Pw2 सुरेश पुत्र घांसी उर्फ घांसीलाल जाति धाकड निवासी पटना तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 57 पुराना 195 कुल किता 4 का रकबा 0.99 है0 आराजी व जमाबन्दी ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 85 पुराना 85 का ख0नं0 1018/1502 का रकबा 0.07 है0 आराजी प्रेम पुत्र भीम के नाम अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 109 पुराना 114 कुल किता 9 का रकबा 0.87 है0 आराजी व जमाबन्दी ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 145 पुराना 138 कुल किता 12 का रकबा 5.76 है0 आराजी में प्रेमचन्द पुत्र भीम के नाम अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड,सरपंच ग्राम पंचायत पटना प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2025 व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।सरपंच ग्राम पंचायत पटना प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2025 के अनुसार प्रेमनारायण पुत्र भीमराज व प्रेम पुत्र भीम व प्रेमचन्द पुत्र भीम एक ही व्यक्ति के नाम है तथा जमाबन्दी ग्राम व माल महाराजपुरा व ग्राम व माल पटना में सहखातेदार सुरेश पुत्र घांसी ने भी वादी का नाम प्रेमनारायण पुत्र भीमराज होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, साक्ष्य गवाहों व तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 57 पुराना 195 कुल किता 4 का रकबा 0.99 है0 आराजी व ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 85 पुराना 85 का ख0नं0 1018/1502 का रकबा 0.07 है0 आराजी आराजी में सहखातेदार प्रेम पुत्र भीम के स्थान पर प्रेमनारायण उर्फ प्रेम पुत्र भीमराज तथा ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 109 पुराना 114 कुल किता 9 का रकबा 0.87 है0 आराजी व ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 145

पुराना 138 कुल किता 12 का रकबा 5.76 है0 आराजी में सहखातेदार प्रेमचन्द पुत्र भीम के स्थान पर प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द पुत्र भीमराज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर वादी का वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।विवादित आराजी ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 57 पुराना 195 कुल किता 4 का रकबा 0.99 है0 आराजी व ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 85 पुराना 85 का ख0नं0 1018/1502 का रकबा 0.07 है0 आराजी आराजी में सहखातेदार प्रेम पुत्र भीम के स्थान पर प्रेमनारायण उर्फ प्रेम पुत्र भीमराज तथा ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 109 पुराना 114 कुल किता 9 का रकबा 0. 87 है0 आराजी व ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 145 पुराना 138 कुल किता 12 का रकबा 5.76 है0 आराजी में सहखातेदार प्रेमचन्द पुत्र भीम के स्थान पर प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द पुत्र भीमराजदर्ज करने के आदेश किये जाते है।आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावे। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 53/2025 दायर दिनांकः 09.04.2025

उनवान

1. प्रेमनारायण आयु 44 वर्ष पुत्र भीमराज जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज.) मो.न. 9829226797

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :-
वादीः- विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव
प्रतिवादीः- पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 57 पुराना 195 कुल किता 4 का रकबा 0.99 है0 आराजी व ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 85 पुराना 85 का ख0नं0 1018/1502 का रकबा 0.07 है0 आराजी आराजी में सहखातेदार प्रेम पुत्र भीम के स्थान पर प्रेमनारायण उर्फ प्रेम पुत्र भीमराज तथा ग्राम व माल महाराजपुरा पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 109 पुराना 114 कुल किता 9 का रकबा 0.87 है0 आराजी व ग्राम व माल पटना पटवार हल्का पटना के खाता संख्या नया 145 पुराना 138 कुल किता 12 का रकबा 5.76 है0 आराजी में सहखातेदार प्रेमचन्द पुत्र भीम के स्थान पर प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचन्द पुत्र भीमराज दर्ज करने के आदेश किये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावे। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग.................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.08.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)